

(कोषागार प्रशाखा)

पत्रांक-12-38/2020 ...../कोषा0, दिनांक-.....

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
दरभंगा।

सेवा में,

सभी कार्यालय प्रधान,  
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
दरभंगा जिला।

विषय:-

बैंक खाता में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य समेकित निधि में जमा करने एवं अनावश्यक बैंक खातों को बंद करने के संबंध में।

प्रसंग:-

वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2575/वि0 दिनांक-14.05.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-277/कोषा0 दिनांक-18.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों का कृपया स्मरण किया जाय। प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा बैंक खाता में संचित अव्यवहृत राशि को राज्य समेकित निधि में जमा करने एवं अनावश्यक बैंक खातों को बंद करने तथा वित्तीय प्रबंधनों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की प्रति भेजते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की माँग किया गया था, जो अद्यतन अप्राप्त है।

अतएव पुनः निदेशित किया जाता है प्रसंगाधीन पत्र में वर्णित सभी कंडिकाओं का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अपने-अपने प्रशासी विभाग को भेजते हुए इसकी एक प्रति वरीय कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

50

जिला पदाधिकारी  
दरभंगा।

ज्ञापक 12-38/2020-308...../कोषा0 दिनांक-04/06/2020

प्रतिलिपि:-

COVID-19 के रोकथाम हेतु चिन्हित सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उपर वर्णित निदेशों का अनुपालन 7 दिनों के अंदर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि:-

जिला आई0टी0प्रबंधक, दरभंगा को सभी संबंधितों को Email द्वारा सूचना प्रेषित करने एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

50

जिला पदाधिकारी  
दरभंगा।